न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर (कैम्प उज्जैन)

R. 233-I/2005 प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2004-05

(1) घीसाजी पिता गोवर्धनजी कुल्मी
(2) चंदर उर्फ रामचन्दर पिता गोरधनलाल कुल्मी
निवासीगण ग्राम लिम्बोदा तहसील बागली जिला देवास
......................निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

सजनबाई पति काशीराम जाति कुल्मी
निवासी ग्राम लिम्बोदा तहसील बागली जिला देवास
..................विपक्षी

16-3-05

पुनरीक्षण (निगरानी) आवेदन पत्र धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता अन्तरगत

माननीय महोदय ,

निगरानीकर्तागण की निगरानी माननीय न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 260/2002–03 अपील (घीसाजी, चन्दर विरूद्ध सजनबाई) मे पारित आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2004 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी समयावधी मे नीचें दर्शाए वैध कारणो से पेश की है :

R. 233-B/2005 देवास

23.9.2016	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष	23.9 DD